<u>न्यायालय</u>— पंकज शर्मा, <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.</u> (आप.प्रक.क्रमांक :— 1627 / 2014)

<u>(संस्थित दिनांक :- 09 / 12 / 2014)</u>

म.प्र.राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मौ जिला–भिण्ड, म.प्र.

.....अभियोजन।

//विरूद्ध//

- 01. रामवीर सिंह गुर्जर पुत्र मजबूत सिंह गुर्जर उम्र 28 वर्ष
- 02. नीतेश उर्फ रबुदे यादव पुत्र जमुना प्रसाद उम्र 24 वर्ष
- 03. सतीश यादव पुत्र फौजदार यादव उम्र 28 वर्ष निवासी :— ग्राम सौरा, थाना—मौ, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)।

.....अभियुक्तगण।

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 04 / 02 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी रामवीर, नीतेश उर्फ रबूदे एवं सतीश पर धारा 294, 332/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक :— 31/10/2014 को शाम लगभग 05:15 बजे रसनौल फीडर थाना—मौ पर, जो कि एक लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, फरियादी भूपेन्द्र सिंह को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी लोकसेवक भूपेन्द्र सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में लोक सेवक के रूप में लोक कृत्य का निर्वहन कर रहे परीक्षण सहायक म.प्र.म. क्षे.वि.वि.कम्पनी फरियादी भूपेन्द्र को भयोपरत करने के आशय से उसकी डण्डों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी भूपेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 31/10/2014 को शाम लगभग 05:15 बजे रसनौल फीडर थाना—मौ पर, आरोपीगण द्वारा फरियादी लोक सेवक परीक्षण सहायक म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी भूपेन्द्र की मारपीट करने, गाली—गलौच करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी भूपेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक : 03/11/2014 को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 374/2014 अन्तर्गत

धारा 353, 186, 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपिठत धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। फरियादी/आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी भूपेन्द्र सिंह लोधी, साक्षी लक्ष्मीनारायण एवं रामहेत के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण रामवीर, नीतेश उर्फ रबूदे एवं सतीश के विरूद्ध धारा 294, 332 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झुठा फसाया जाना व्यक्त किया है।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—
- 01. क्या आरोपीगण ने दिनांक :— 31/10/2014 को शाम लगभग 05:15 बजे रसनौल फीडर थाना—मौ पर, जो कि एक लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, फरियादी भूपेन्द्र सिंह एवं वहाँ सुनने वालों को माँ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?
- 02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी लोकसेवक भूपेन्द्र सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में लोक सेवक के रूप में लोक कृत्य का निर्वहन कर रहे परीक्षण सहायक म.प्र.म. क्षे.वि.वि.कम्पनी फरियादी भूपेन्द्र को भयोपरत करने के आशय से उसकी डण्डों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?
- 03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी भूपेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया?
 - 04. अंतिम निष्कर्ष?

<u>सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष</u> विचारणीय बिन्दु कमांक : 01 लगायत 03 07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

फरियादी भूपेन्द्र सिंह अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि दिनांक : 31 / 10 / 2014 को मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के रसनोल फीडर पर टेस्टिंग असिस्टेंट के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को शाम करीबन पॉच–सवा पॉच बजे की बात है। सौरा गांव के कुछ लड़के आये और बोले कि हमारी विद्युत लाईन जोड़ दो, मैंने कहा कि कटौती का समय है, तो गांव के लड़कों ने उसकी मारपीट कर दी एवं उसे मादरचोद एवं बहनचोद की गंदी गालियाँ दी एवं उसे जान से मारने की धमकी दी, उक्त घटना की जानकारी उसके द्वारा अपने जे.ई.रामहेत राजपुत एवं लाइनमैन लक्ष्मीनारायण परिहार को दी थी तथा उक्त गांव के लोगों ने उसके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात उसने घटना की रिपोर्ट थाना मों में की थी, जो प्र.पी.03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का नक्शा—मौका प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण वह व्यक्ति नहीं है, जिनके द्वारा उसके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर उसकी मारपीट एवं उसके साथ गाली-गलीच की गई थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी भूपेन्द्र अ.सा.03 ने अभियोजन अधिकारी के इन स्झावों को स्वीकार नहीं किया है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण ही वह व्यक्ति है, जिनके द्वारा उससे गाली–गलौच, उसकी मारपीट एवं उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। प्रकार फरियादी भूपेन्द्र अ.सा.०३ की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.05 के तथ्यों मे मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

09. साक्षी रामहेत अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 31/10/2014 के करीबन साढ़े पाँच बजे भूपेन्द्र सिंह लोधी का फोन आया था। साक्षी आगे कहता है कि भूपेन्द्र ने फोन पर उसे बताया कि विद्युत वितरण उपकेन्द्र रसनोल पर आरोपी रबूदा, सतीश एवं रामवीर उसके साथ गाली—गलौच करते हुए रामवीर ने डण्डा मारा था, जो भूपेन्द्र के दाये कंधे में लगा, रबूदा ने उसे पकड़ लिया था, रबूदा ने उसे डण्डा मारा था, जो उसकी पीठ में लगा था। साक्षी आगे कहता है कि भूपेन्द्र ने उसे यह भी बताया था कि सतीश द्वारा उसे मादरचोद—बहनचोद की गालिया दी एवं आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस संबंध में उसका कथन लिया था। साक्षी आगे कहता है कि उसने दिनांक : 31/10/2014 को फरियादी भूपेन्द्र सिंह पुत्र कालूराम लोधी के उपस्थित होने के संबंध में ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी लक्ष्मीनारायण अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 31/10/2014 को रसनोल फीडर पर एएलएम के

पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे भूपेन्द्र सिंह लोधी ने बताया था कि वह ड्यूटी पर रसनोल फीडर पर था, उसी समय रसनोल गांव के कुछ लोगों ने आकर उससे कहा कि हमारी लाईन जोड़ दो, उसने कहा कि कटौती का समय है। इसी बात पर गांव के लोगों ने उसकी मारपीट कर दी। साक्षी आगे कहता है कि उन लोगों के नाम उसे मोबाइल पर भूपेन्द्र ने रामवीर, रबूदा एवं सतीश बताये थे। साक्षी आगे कहता है कि भूपेन्द्र ने उसे यह भी बताया था कि रबुदा ने उसका गिरेवान पकड लिया एवं रामवीर ने उसके दाहिने कंधे में डण्डा मारा तथा सतीश ने कहा कि मारो मादरचोद को, तब बिजली सप्लाई देगा। उसके बाद एक डण्डा रबूदा ने पीठ में मारा, मूंदी चोट आई तथा रामवीर बोला कि मादरचोद अगर उसने रिपोर्ट की तो उसे जाने से मार देगें। साक्षी आगे कहता है कि उपरोक्त सभी बातें भूपेन्द्र ने उसे मोबाइल पर बताई थी तथा यह भी बताया था कि उसके शासकीय कार्य में बांधा पहुँचाई थी। रामहेत अ.सा.02 एवं लक्ष्मीनारायण अ.सा.०४ ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपीगण को फरियादी भूपेन्द्र अ.सा.०२ के साथ आरोपित अपराध कारित करने वाले के रूप में नहीं पहचाना है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि रामहेत एवं लक्ष्मीनारायण अ.सा.02 एवं अ.सा.04 उनके स्वयं के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अनुसार घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, बल्कि उन्हें घटना की जानकारी फोन पर फरियादी भूपेन्द्र अ.सा.02 द्वारा दी गई थी। इसलिए उक्त दोनों साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

अभियोजन साक्षी निहाल सिंह अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 03 / 11 / 2014 को पुलिस थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी भूपेन्द्र लोधी ने आरोपीगण रबूदा, रामवीर एवं सतीश निवासीगण : ग्राम सौरा के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा, गाली–गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने के आशय की रिपोर्ट की थी, जो उसके द्वारा अपराध क्रमांक 374/2014 अन्तर्गत धारा 353, 186, 294, 323, 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.03 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् एफआईआर अग्रिम विवेचना हेत् एएसआई प्रमोद भदौरिया को सौंप दी थी। निहाल सिंह अ.सा.०५ ने उसके प्रति–परीक्षण के पद कमांक 02 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि फरियादी भूपेन्द्र अ.सा.02 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 03 के बी से बी भाग की बात उसे नहीं लिखवाई थी। जबकि भूपेन्द्र अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में पद क्रमांक 03 में इस तथ्य से इन्कार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 के बी से बी भाग की बात लिखवाई थी। इस प्रकार इस वावत भूपेन्द्र अ.सा.०२ एवं निहाल सिंह अ.सा.०३ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है कि उक्त बी से बी के मध्य लेखबद्ध तथ्य फरियादी भूपेन्द्र अ.सा.02 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 में लेखबद्ध कराये गये थे. अथवा नहीं।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक :– 31 / 10 / 2014 को शाम लगभग 05:15 बजे रसनौल फीडर थाना–मौ पर, जो कि एक लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, फरियादी भूपेन्द्र सिंह को मॉं–बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी लोकसेवक भूपेन्द्र सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में लोक सेवक के रूप में लोक कृत्य का निर्वहन कर रहे परीक्षण सहायक म.प्र.म. क्षे.वि.वि.कम्पनी फरियादी भूपेन्द्र को भयोपरत करने के आशय से उसकी डण्डों से मारपीट कर उसे स्वेच्छ्या उपहति कारित की एवं फरियादी भूपेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

- उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपीगण रामवीर, नीतेश उर्फ रबूदे एवं सतीश के विरूद्ध धारा २९४, ३३२ / ३४ एवं ५०६ भाग ।। भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को भा.द.सं. की धारा 294, 332 / 34 एवं 506 भाग।। के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद